**संख्या-90/2017/2077/22-2-2016-17(399)/2016**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2** **लखनः दिनांक 07 फरवरी, 2017**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 नफीस पुत्र याकूब हुसैन, निवासी जनपद-बदायूं की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मो0 नफीस पुत्र श्री याकूब हुसैन, निवासी ग्राम-मो0 सैफुल्लागंज, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 14.05.1996 को फिरौती के लिए अपने पडोस में रहने वाले 07 वर्षीय बच्चे मो0 आसिम अमर का अपहरण कर लिया और पत्र द्वारा रू0 50000/- फिरौती की मांग की एवं फिरौती न मिलने पर बच्चे की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-114/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 364ए में मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) बदायूं के आदेश दिनांक 03-04-1998 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 20 वर्ष 04 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 06 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के कारित अपराध से समाज के प्रभावित होने, समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने तथा बन्दी द्वारा 07 वर्ष के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने जैसे अपराध के आधार पर बन्दी के जेल में और आगे निरूत्र रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने फिरौती के लिए अपने पडोस में रहने वाले 07 वर्षीय बच्चे मो0 आसिम अमर का अपहरण किया, फिरौती के रूपये न मिलने पर बच्चे की पानी में डुबोकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 नफीस पुत्र श्री याकूब हुसैन, निवासी जनपद-बदायूं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-19652(एम0/बी0)/2016 मो0 नफीस बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 नफीस (बन्दी संख्या-35659) पुत्र श्री याकूब हुसैन, निवासी जनपद-बदायूं के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-90/2017/2077(1)/22-2-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बदायूं।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्या-90/2017/2077@22-2-2016-17(399)/2016**

**दिनांक 07 फरवरी, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी मो0 नफीस (बन्दी संख्या-35659) पुत्र श्री याकूब हुसैन, निवासी ग्राम-मो0 सैफुल्लागंज, थाना-सहसवान, जनपद-बदायूं का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 14.05.1996 को फिरौती के लिए अपने पडोस में रहने वाले 07 वर्षीय बच्चे मो0 आसिम अमर का अपहरण कर लिया और पत्र द्वारा रू0 50000/- फिरौती की मांग की एवं फिरौती न मिलने पर बच्चे की पानी में डुबोकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-114/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 364ए में मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) बदायूं के आदेश दिनांक 03-04-1998 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.10.2016 तक 20 वर्ष 04 माह 21 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 06 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के कारित अपराध से समाज के प्रभावित होने, समयपूर्व रिहा किये जाने पर अपराध की पुनरावृत्ति की सम्भावना होने तथा बन्दी द्वारा 07 वर्ष के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने जैसे अपराध के आधार पर बन्दी के जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने फिरौती के लिए अपने पडोस में रहने वाले 07 वर्षीय बच्चे मो0 आसिम अमर का अपहरण किया, फिरौती के रूपये न मिलने पर बच्चे की पानी में डुबोकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 नफीस पुत्र श्री याकूब हुसैन, निवासी जनपद-बदायूं को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in